

कार्यालय: सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर (नैनीताल)**निविदा प्रपत्र****परिषदीय परीक्षाओं हेतु लिफाफों की आपूर्ति वर्ष 2014**

निविदा संख्या: 002/उ0वि0शि0प0/ सिस्टम सेल /3158 /2013-14 दिनांक 30-07-2013

परिषद परीक्षा वर्ष 2014 के संचालनार्थ लिफाफों की आपूर्ति हेतु सन्दर्भित कपड़ा लगे क्राफ्ट कागज से निर्मित निम्नलिखित विवरण के अनुसार लिफाफों की आपूर्ति हेतु निविदा आमन्त्रित की जाती है :-

आइटम नम्बर	वर्ष 2013-14 हेतु लिफाफों के क्रय हेतु स्पेशीफिकेशन	वांछित संख्या (अनुमानित)
1	मशीन लेमीनेटेड तथा सिकुड़न रहित क्लाय लाइन्ड लिफाफा जिस पर काली रोशनाई का मुद्रण होगा। साइज 52 से0 मी0 x 30 से0 मी0 (8से0मी0 फ्लैप नमूने के अनुसार बड़ा भारत सरकार सहित)	19,000 नग
2	मशीन लेमीनेटेड तथा सिकुड़न रहित क्लाय लाइन्ड लिफाफा 45सेमीx30सेमी छोटा भारत सरकार। जिस पर काली स्याही का मुद्रण होगा।(8से0मी0 फ्लैप सहित)	10,000 नग
3	क्राफ्ट पेपर के कपड़ा रहित लिफाफे जिस पर काली स्याही का मुद्रण होगा साइज 45 से0 मी0 x 13 से0 मी0 (4 से0मी0 फ्लैप सहित नमूने के अनुसार।) (एवार्ड ब्लैक का सादा लिफाफा)	80,000 नग
4	मशीन लेमी0 कपड़ा रहित सादा लिफाफा जिस पर काली रोशनाई का मुद्रण होगा। साइज 40 से0 मी0 x 22 से0मी0 (8सेमी फ्लैप सहित)।	16,500 नग
5	मशीन लेमी0 कपड़ा युक्त लिफाफा जिस पर काली रोशनाई का मुद्रण होगा। साइज 40 से0 मी0 x 22 से0मी0 (8सेमी फ्लैप सहित)।	2,500 नग

विशेष निर्देश उपर्युक्त विषयक निविदा सूचना के सन्दर्भ में सूच्य है कि निविदा निम्नांकित दो भागों में प्रस्तुत की जायेगी:-

1:- प्रथम भाग तकनीकी सूचना — यह सूचना एक अलग मुहर बन्द लिफाफे में रखी जायेगी इस लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में प्रथम भाग की तकनीकी सूचना लिखा जायेगा साथ में कम्पनी का नाम व मुहर भी अंकित होगी तथा लिफाफे पर निविदा संख्या अंकित करते हुये 'लिफाफे की आपूर्ति हेतु निविदा' लिखना अनिवार्य होगा।

2:- द्वितीय भाग-वित्तीय सूचना — यह सूचना एक अलग मुहर बन्द लिफाफे में रखी जायेगी इस लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में द्वितीय भाग-वित्तीय सूचना एवं शर्तें, लिखा जायेगा साथ में कम्पनी का नाम व मुहर भी अंकित होगी तथा लिफाफे पर निविदा संख्या अंकित करते हुए बावत लिफाफे की आपूर्ति लिखना अनिवार्य होगा।

उपर्युक्त दोनों लिफाफे एक बड़े लिफाफे में रखे जायेंगे। तथा इस लिफाफे को भी मुहर बन्द करके निम्नांकित अधिकारी के नाम से दिनांक 30 अगस्त, 2013 को 12.00 बजे मध्याह्न तक सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर (नैनीताल) कार्यालय में जमा या रजिस्टर्ड डाक से प्राप्त कराया जायेगा। निविदा का प्रथम भाग दिनांक 30 अगस्त, 2013 को अपराह्न 1.00 बजे खोला जायेगा। तकनीकी सूचना की जाँच करने के उपरान्त अनुपयुक्त पाई गई फर्मों के वित्तीय लिफाफे नहीं खोले जायेंगे तथा ऐसी फर्मों के टेण्डर अस्वीकार कर दिये जायेंगे और सम्बन्धित फर्मों का इस सम्बन्ध में कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। इस सम्बन्ध में सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद द्वारा लिया गया निर्णय सभी को स्वीकार्य होगा।

(तकनीकी सूचना)

इस भाग के लिफाफे में निम्नांकित सूचना अनिवार्य रूप से अंकित की जायेगी ।

- 1:- फर्म का नाम तथा पता
- 2:- फर्म की स्थापना महीना तथा वर्ष
- 3:- फर्म का स्वरूप एकल, संयुक्त प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड/
संस्था साथ में स्वामित्व का प्रमाण पत्र एवं N.S.I.C./
S.S.I./D.I.C में पंजीकरण का अद्यावधि नवीनीकरण का
प्रमाण पत्र भी संलग्न करें ।
- 4:- गत वर्ष का टर्न ओवर ।
- 5:- पेड अप कैपिटल ।
- 6:- गत वर्ष का लाभ ।
- 7:- आयकर पूर्ण भुगतान सम्बन्धी प्रमाण पत्र ।
- 8:- फर्म का मुख्य कार्य ।
- 9:- क्या फर्म क्लाइन्ड कागज स्वयं बनाती है अथवा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त करती है ।
स्रोत का नाम अंकित किया जाये ।
- 10:- फर्म में उपलब्ध संयंत्रों मशीनों का विवरण दिया जाये ।
- 11:- फर्म में उपलब्ध मानव संसाधन एवं तकनीकी कार्यकर्ताओं का उल्लेख किया जाये ।
- 12:- लिफाफे पर नमूने के अनुसार मुद्रण की व्यवस्था क्या उपलब्ध है यदि नहीं है तो मुद्रण की क्या
व्यवस्था की जायेगी ।
- 13:- परिषद् कार्यालय द्वारा दिखाये गये लिफाफों के नमूने का विवरण/मानक निम्नवत् हैं ।
क:- कागज 100 जी० एस० एम० क्राफ्ट पेपर
ख:- कपड़ा 18 x 20 पिक एन्डस प्रति स्क्वायर इन्च से कम नहीं होना चाहिए मशीन
लेमिनेटेड कपड़ा एच एल सी क्लाइन्ड ही प्रयोग किया जायेगा ।
ग:- कपड़ा लगे कागज की मोटाई 0.010 इन्च अथवा 0.254 एम० एम० होनी चाहिए ।
घ:- मशीन लैमिनेटेड कपड़ा लगे कागज की बस्तिंग शक्ति 40 पौंड प्रति स्क्वायर इंच होनी
चाहिए ।
ङ:- लिफाफों की माप निश्चित रूप से नमूने के अनुसार हो ।
- 14:- परिषद् द्वारा दिखाये गये नमूने के अनुसार फर्म द्वारा निर्मित लिफाफों को 4-4 (चार-चार)
प्रतियों के चार सैट जाँच हेतु संलग्न की जायें । फर्म द्वारा प्रस्तुत नमूने पर कोई चिन्ह या
विवरण अंकित नहीं किया जायेगा । अपितु प्रत्येक नमूने के साथ मजबूत तागे से एक स्लिप
नत्थी की जायेगी । स्लिप पर फर्म अपना विवरण तथा पता अंकित करेगा । नत्थी के स्थान पर
तथा तागे के जोड़ पर लाख लगा कर फर्म द्वारा सील लगायी जायेगी । निविदा दाता को केवल
एक ही गुणवत्ता के लिफाफे का नमूना प्रस्तुत करना होगा । ए, बी, सी,.....पृथक्-पृथक्
गुणवत्ता के नमूने नहीं रखे जायेंगे ।
- 15:- प्रयोग किये जाने वाले क्लाइन्ड कागज व क्राफ्ट कागज 32 x 27 से०मी० के 3/4 टुकड़े भी
जाँच के लिए संलग्न किये जायें । इस नमूने पर फर्म का विवरण अंकित नहीं किया जायेगा ।
अपितु उपर्युक्त वर्णित प्रक्रिया के अनुसार स्लिप लगायी जायेगी । 3/4 का तात्पर्य 3-3
टुकड़ों के चार सैट से हैं ।
- 16:- निविदादाता फर्म को निविदा के साथ धरोहर धनराशि(अर्नेस्टमनी) रु० 20000=00 (बीस हजार
रुपये मात्र) क्रासड बैंक ड्राफ्ट के रूप में सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् के पदनाम
से प्लेज करना होगा । नकद या किसी अन्य रूप में धनराशि स्वीकार नहीं की जायेगी ।

निविदादाता का
फोटो
राजपत्रित
अधिकारी द्वारा
प्रमाणित

निविदादाता के हस्ताक्षर—

फर्म की मुहर—

वित्तीय भाग

नोट:— लिफाफों की दर निम्न प्रकार से प्रस्तुत की जायेंगी:—

आइ0 नम्बर	स्पेशीफिकेशन	प्रति 1000 लिफाफे दर @	कर यदि कोई हो	कर सहित कुल दर
1	मशीन लेमीनेटेड तथा सिकुड़न रहित क्लाथ लाइन्ड लिफाफा जिस पर काली रोशनाई का मुद्रण होगा। साइज 52 से0 मी0 x 30 से0 मी0 (8से0मी0 फ्लैप नमूने के अनुसार बड़ा भारत सरकार सहित)			
2	मशीन लेमीनेटेड तथा सिकुड़न रहित क्लाथ लाइन्ड लिफाफा साइज 45सेमीx30सेमी छोटा भारत सरकार। जिस पर काली स्याही का मुद्रण होगा।(8से0मी0 फ्लैप सहित)			
3	क्राफ्ट पेपर के कपड़ा रहित लिफाफे जिस पर काली स्याही का मुद्रण होगा साइज 45 से0 मी0 x 13 से0 मी0 (4 से0मी0 फ्लैप सहित नमूने के अनुसार) (एवार्ड ब्लैक का सादा लिफाफा)			
4	मशीन लेमी0 कपड़ा रहित सादा लिफाफा जिस पर काली रोशनाई का मुद्रण होगा। साइज 40 से0 मी0 x 22 से0मी0 (8सेमी फ्लैप सहित)।			
5	मशीन लेमी0 कपड़ा युक्त लिफाफा जिस पर काली रोशनाई का मुद्रण होगा। साइज 40 से0 मी0 x 22 से0मी0 (8सेमी फ्लैप सहित)।			

दरें शब्दों एवं अंकों दोनों में स्पष्ट अंकित की जायं।

निविदा दाता के हस्ताक्षर—

फर्म की मुहर—




क:- शर्त:-

- 1:- निविदा सम्बन्धी समस्त कार्यवाही उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्वोरमेंट) नियमावली 2008 के प्राविधानों के अनुसार की जायेगी।
- 2:- प्रत्येक निविदादाता को उपर्युक्त वर्णित नियमों के अन्तर्गत धरोहर धनराशि/सिक्वोरिटी धनराशि तथा अनुबन्ध पत्र देय होगा।
- 3:- आपूर्तिकर्ता फर्म को निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध-पत्र रुपया 100.00 के स्टैम्प पेपर पर हस्ताक्षरित करना होगा तथा कार्यादेश पाने के एक सप्ताह के अन्दर कार्य के कुल मूल्य के दस प्रतिशत के बराबर जमानत की धनराशि बैंक गारन्टी/एकाउन्ट पे बैंक ड्राफ्ट/सावधि जमा रसीद के रूप में कार्य सम्पादित करने हेतु जमा करेंगे। कार्यपूर्ति धरोहर आपूर्ति कर्ताओं/निविदादाताओं के संविदा से सम्बन्धित सभी दायित्वों को जिनमें वारंटी सम्बन्धी दायित्व सम्मिलित हैं, पूर्ति करने की अवधि के दिवस से 60 दिन बाद तक वैध होना आवश्यक है। किसी भी दशा में निश्चित की जाने वाली राज्यपाल को देय किसी भी धनराशि की वसूली उक्त जमानत की धनराशि से की जायेगी तथा उसके प्रति सचिव द्वारा लिखित नोटिस दिये जाने के पन्द्रह दिनों के अन्दर ठेकेदार उक्तवत हुई कमी की पूर्ति करेगा ठेकेदार को जमानत की राशि की वापसी ठेके का कार्य पूर्णतः सम्पन्न हो जाने के छः माह के पश्चात की जायेगी।
- 4:- लिफाफों की आपूर्ति पर समस्त व्यय जैसे ट्रक भाड़ा चुंगी तथा आयकर आदि फर्म द्वारा नियमानुसार देय होगा।
- 5:- साधारणतया आंशिक आपूर्ति स्वीकार नहीं की जायेगी यदि विशेष परिस्थितियों में आंशिक आपूर्ति सचिव उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् की अनुमति से करना आवश्यक होगा तो भुगतान प्रत्येक प्रकार के लिफाफों की आवश्यकतानुसार वांछित संख्या में आपूर्ति किये गये लिफाफों का ही किया जायेगा।
- 6:- परिषद् के सचिव की पूर्वानुमति के बिना यदि आपूर्ति निर्धारित तिथि के बाद की जाती है तो 500/- रुपये प्रतिदिन की दर से अर्थ दण्ड फर्म को देना होगा, इस अर्थ दण्ड की अवधि सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित की जायेगी। सचिव उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल) द्वारा निर्धारित तिथि के बाद सिक्वोरिटी धनराशि भी जब्त कर ली जायेगी।
- 7:- लिफाफों की आपूर्ति सचिव उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल) के कार्यालय में की जायेगी।
- 8:- लिफाफे 500-500 के बण्डल में बाँधकर उपलब्ध कराये जायेंगे। लिफाफों के 500-500 के पैकेट तैयार कर टॉट पट्टी में बाँधकर उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 9:- आपूर्ति किये गये लिफाफों की रेन्डम जाँच की जायेगी उनका तकनीकी परीक्षण भी किया जायेगा। यदि निर्धारित मानक के अनुसार लिफाफे नहीं पाये गये तो यह सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल) के निर्णय पर निर्भर करेगा कि वे सम्पूर्ण आपूर्ति अस्वीकार कर दें अथवा आर्थिक दण्ड निर्धारित करें। सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् द्वारा लिये गये निर्णय निविदादाताओं/फर्मों को मान्य होंगे तथा इस सम्बन्ध में कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 10:- निविदादाता फर्मों की संस्था का निरीक्षण यदि आवश्यकता हुई तो किया जा सकता है और आपूर्ति के लिए बनाये गये लिफाफों की जाँच संस्थान पर आपूर्ति से पूर्व भी की जा सकती है। इस हेतु जो भी व्यय आयेगा उसका भुगतान सम्बन्धित फर्म द्वारा किया जायेगा।



ख:- वित्तीय सूचना


इस भाग में निम्नलिखित सूचनाएं निविदादाता फर्म द्वारा दिया जाना अनिवार्य है ।

- 1:- वर्णित शर्तों के अधीन तथा भुगतान की निम्नलिखित प्रक्रिया का अध्ययन कर परिषद के नमूने एवं मानक के अनुसार निर्मित लिफाफों की दर अंकित की जायें । दरें सभी प्रकार के करों सहित जिसमें सेवाकर भी सम्मिलित हो, अंकित की जाय ।
- 2:- आपूर्ति किये गये लिफाफों के भुगतान की व्यवस्था आपूर्ति किये गये लिफाफों के मूल्य का 90% भुगतान लिफाफों की आपूर्ति होने पर किया जायेगा । इसके पश्चात् लिफाफों की जाँच आदि के बाद उपयुक्त पाये जाने पर शेष 10% का भुगतान किया जायेगा ।
- 3:- सम्पूर्ण आपूर्ति के उपरान्त तथा लिफाफों की जांच से संतुष्ट होने के बाद ही सिक्योरिटी धनराशि लौटाई जायेगी ।
- 4:- लिफाफों की सम्पूर्ण आपूर्ति निश्चित रूप से कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि तक उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद के रामनगर(नैनीताल) स्थित मुख्यालय के समन्वय अनुभाग में की जायेगी ।

उपर्युक्त वर्णित शर्तों में कोई शिथिलता संभव नहीं है । परीक्षाओं के उपयोग में आने वाले विविध प्रकार के लिफाफों की आपूर्ति हेतु निविदाएं सीलबन्द लिफाफे में 'लिफाफे की आपूर्ति हेतु निविदा' लिखना अनिवार्य होगा जो सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर (नैनीताल) के पते पर दिनांक 30 अगस्त, 2013 को 12:00 बजे मध्याह्न अथवा इस तिथि के पूर्व निश्चित रूप से पहुँच जानी चाहिए । निर्धारित तिथि तथा समय के पश्चात् प्राप्त हुई निविदा/निविदाएं स्वीकार नहीं की जायेंगी तथा बिना कारण बताये निरस्त कर दी जायेंगी । निविदाएं उसी दिन अर्थात् दिनांक 30 अगस्त, 2013 को 1:00 बजे अपराह्न उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेंगी । परिषद कार्यालय बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड संस्था है । किसी भी वाद हेतु न्यायालयी क्षेत्राधिकार रामनगर (नैनीताल) होगा ।

परिषद के सचिव बिना कारण बताये किसी भी निविदा को निरस्त करने/सुधारने या स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं ।

- नोट:- 1-तकनीकी एवं वित्तीय भाग के लिफाफे अलग-अलग सील बन्द होंगे, दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में रखा जायेगा । इस बड़े लिफाफे को भी मुहरबन्द किया जायेगा ।
- 2- निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ में सुस्पष्ट हस्ताक्षर करें ।


सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद
रामनगर (नैनीताल) ।

निविदादाता के हस्ताक्षर-
फर्म की मुहर

